

**प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)**  
**Centre for Development of Advanced Computing**

**नियम और विनियम**  
**(Rules and Regulations)**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी**  
**मंत्रालय,**  
**भारत सरकार की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था**

# प्रगत संगणन विकास केंद्र

## नियम और विनियम

1. **लघु शीर्षक**  
यह नियम और विनियम प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), संस्था के नियम कहलाएंगे।
2. **परिभाषाएँ**  
इन नियमों में, यदि अन्य संदर्भ में प्रयुक्त न हो तो :
  - क. "संस्था" का अर्थ है सी-डैक।
  - ख. "परिषद" का अर्थ है संस्था की शासी परिषद।
  - ग. "सी सी" का अर्थ है संस्था की समन्वयन समिति।
  - घ. "टी ए सी" का अर्थ है संस्था की तकनीकी सलाहकार समिति।
  - च. "एफ और ए समिति" का अर्थ है संस्था की वित्तीय तथा लेखा समिति।
  - छ. "मंडल" का अर्थ है संस्था का प्रबंधन-मंडल।
  - ज. "डी जी" का अर्थ है संस्था के महानिदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
  - झ. "कार्यकारी निदेशक" का अर्थ है संस्था की यूनिट या कार्य, इस रूप में संस्था में चयनित तथा नियुक्त।
  - ट. "रजिस्ट्रार (कुलसचिव)" का अर्थ है संस्था के कुल सचिव।
  - ठ. "निदेशक (वित्त)" का अर्थ है संस्था के मुख्य वित्तीय अधिकारी।

सी-डैक के नियम और विनियम

**सुनिल मिसर**  
कुलसचिव  
प्रगत संगणन विकास केंद्र  
**Sunil Misar**  
Registrar  
Centre for Development of  
Advanced Computing

*सुनिल मिसर*  
7-2-2021



ड. "निदेशक (एच आर डी)" का अर्थ है संस्था के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख।

ढ. "वर्ष" का अर्थ है कैलेंडर के बारह महीने, जिसका अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ हो और आगामी वर्ष के इकतीस मार्च को अंत हो।

### 3. प्रशासन तथा प्रबंधन

इनके तथा इनके आगे समय-समय पर रचित नियमों के विषय में, संस्था का प्रशासन तथा प्रबंधन, परिषद में निहित होगा जिसमें समन्वयन समिति तथा महानिदेशक द्वारा योगदान प्रदान किया जायेगा।

### 4. परिषद

4.1 संरचना- निम्नलिखित में से न्यूनतम सात तथा अधिकतम सोलह सदस्यों के साथ परिषद का गठन होगा-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| (1) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी...<br>के सम्माननीय केंद्रीय मंत्री                          | अध्यक्ष<br>(पदेन)   |
| (2) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी...<br>के सम्माननीय राज्य मंत्री                             | उपाध्यक्ष<br>(पदेन) |
| (3) भारत सरकार के सचिव ...<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय                           | सदस्य<br>(पदेन)     |
| (4) भारत सरकार के सचिव ...<br>विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग   | सदस्य<br>(पदेन)     |
| (5) भारत सरकार के सचिव ...<br>वैज्ञानिक तथा औद्योगिक<br>अनुसंधान विभाग तथा<br>महानिदेशक, सी एस आई आर | सदस्य<br>(पदेन)     |
| (6) भारत सरकार के अपर सचिव ...<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय                       | सदस्य<br>(पदेन)     |

सी-डैक के नियम और विनियम

सुनील मिश्रा  
3-2-2021



- |   |                 |
|---|-----------------|
| (7) समूह समन्वयक<br>(आईटी में अनुसंधान एवं विकास), ...<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  | सदस्य<br>(पदेन) |
| (8) महानिदेशक सी-डैक ...  | सदस्य<br>(पदेन) |
| (9) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार...<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय   | सदस्य<br>(पदेन) |
| (10) संयुक्त सचिव (संस्थाएँ), ...<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय   | सदस्य<br>(पदेन) |
| (11) प्रतिष्ठित वैज्ञानिक / विद्याविद् ...  | सदस्य (2)       |
| (12) सूचना प्रौद्योगिकी से प्रतिष्ठित व्यवसायी...   | सदस्य (2)       |
| (13) डीआरडीओ/डीएई/डीबीटी/डीओडी/डीओएस ...<br>के वरिष्ठ वैज्ञानिक   | सदस्य           |
| (14) बारी बारी से कर्नाटक सरकार, केरल सरकार,...<br>महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार,<br>उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, गुजरात सरकार,<br>उत्तराखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव | सदस्य (2)       |

संस्था का कुलसचिव (रजिस्ट्रार) परिषद का सदस्येतर सचिव होगा।

**टिप्पणी :** परिषद के अध्यक्ष क्रमांक 11 से 14 तक के सदस्यों को क्रमानुसार नामित करेंगे।

परिषद की यह संरचना, परिषद अध्यक्ष के अनुमोदन पर परिवर्तित की जा सकती है।

सी-डैक के नियम और विनियम



4.2 परिषद की वार्षिक बैठक: प्रति वर्ष परिषद की बैठक, संस्था के पूर्ववर्ती लेखा-परीक्षणों पर विचार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए होगी।

5. समन्वयन समिति (सी सी)

समन्वयन समिति में निम्नानुसार कम से कम चार व अधिक से अधिक छह सदस्य होंगे:

- |   |         |
|---|---------|
| (1) सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  | अध्यक्ष |
| (2) अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय                                      | सदस्य   |
| (3) समूह समन्वयक (आईटी में अनुसंधान एवं विकास),<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | सदस्य   |
| (4) महानिदेशक सी-डैक  | सदस्य   |
| (5) संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय            | सदस्य   |
| (6) संयुक्त सचिव (संस्थाएँ)<br>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय                     | सदस्य   |

सी-डैक के कुलसचिव (रजिस्ट्रार) सदस्येतर सचिव और सी-डैक के निदेशक (वित्त), स्थायी अतिथि होंगे।

परिषद के अध्यक्ष समन्वयन समिति की संरचना को परिवर्तित कर सकेंगे।

6. तकनीकी सलाहकार समिति (टी ए सी)

कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों तथा अकादमिक-प्रतिभाओं, जो संस्था के विभिन्न हित क्षेत्रों से आते हैं, से तकनीकी सलाहकार समिति गठित होगी। इसके प्राथमिक गठन में होंगे-

महानिदेशक सी एस आई आर

अध्यक्ष \*

समूह समन्वयक (आईटी में अनुसंधान एवं विकास), मेइटी

सदस्य

सी-डैक के नियम और विनियम

सुनील मिसर  
7-2-2024



आईआईएससी/आईआईटी से विशेषज्ञ	सदस्य (4)
डीआरडीओ/बीएआरसी/आईएसआरओ से विशेषज्ञ	सदस्य (3)
महानिदेशक, सी-डैक	सदस्य

\* अध्यक्ष विख्यात भारतीय वैज्ञानिक होंगे।

सी-डैक का एक वरिष्ठ तकनीकी सदस्य, सदस्येतर सचिव होगा।

तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष की अनुमति से, सी-डैक के वरिष्ठ तकनीकी सदस्यों को बैठकों के लिए, आमंत्रित किया जा सकता है।

परिषद के अध्यक्ष टीएसी के गठन को संशोधित कर सकते हैं।

#### 7. मंडल

संस्था के निम्न अधिकारियों से युक्त प्रबंधन-मंडल होगा-

(1) महानिदेशक, सी-डैक	अध्यक्ष
(2) कार्यकारी निदेशक (8)	सदस्य
(3) निदेशक (वित्त)*	सदस्य
(4) निदेशक (एचआरडी)*	सदस्य
(5) कुलसचिव, सी-डैक	सदस्य-सचिव

#### 8. संस्था के अधिकारी तथा कर्मचारी

इन नियमों के प्रावधानानुसार संस्था के इन कर्मचारियों का समावेश होगा:

- (i) महानिदेशक
- (ii) कार्यकारी निदेशक
- (iii) निदेशक
- (iv) कुलसचिव
- (v) निदेशक (वित्त)\*
- (vi) निदेशक (एचआरडी)\*
- (vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी-वर्ग

सी-डैक के नियम और विनियम



- (viii) अकादमिक कर्मचारी-वर्ग
- (ix) प्रशासनिक कर्मचारी-वर्ग
- (x) सहायक तथा अनुरक्षण कर्मचारी-वर्ग

**9. परिषद संस्था की सर्वोच्च समिति**

परिषद संस्था की सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय होगी। इन नियमों के प्रावधानोंनुसार परिषद द्वारा संस्था के प्रशासन तथा प्रबंधन का संचालन होगा। समन्वयन समिति तथा महा निदेशक की सहायता से संस्था के प्रबंधन तथा प्रशासन का संचालन होगा।

**10. परिषद संस्था की कार्यकारी समिति**

परिषद संस्था की कार्यकारी समिति होगी तथा अपने निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उसे अपनी योजनाओं और कार्यप्रणालियों को प्रतिपादित करना होगा। आई सीटीई और संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधान तथा विकास की योजनाओं, विश्लेषण तथा संयोजन, अन्य गतिविधियों की जिम्मेदारी उठानी होगी।

**11. संयोजन समिति (सीसी)**

संस्था के सक्षम कार्य संचालन के लिए संयोजन समिति द्वारा परिचालन क्षमता, वित्तीय, प्रशासनिक तथा ऐसे नीति संबंधी मामलों में, परिषद तथा प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से पुनरीक्षण तथा अनुमोदन करना होगा।

**12. तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी)**

तकनीकी सलाहकार समिति संस्था के सभी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी मामलों में, परिषद को सलाह देगी कि संस्था विशेष रूप से किस तरह अपने हित संबंधों को स्थापित करे।

**13. प्रबंधन मंडल**

मंडल को, संस्था के संपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में, महा निदेशक की सहायता करनी होगी। सूझ-बूझ/ दूरदर्शिता से ऐसी योजनाओं को मूर्त रूप देना होगा तथा उनको परिचालित करने की ऐसी रूप-रेखा बनानी होगी जो संगठन की योजना के कार्यान्वयन के लिए भी कारगर होगी। सहभागिता प्रबंधन के लिए पोशक होगी तथा जी सी, सी सी व टी ए सी के लिए निवेश तैयार करने की दिशा में सहायक

सी-डैक के नियम और विनियम



होगी। इसे उत्तम प्रयोगों और प्रक्रियाओं के विकास की दिशा में कार्य करना होगा तथा संस्थामें अच्छा शासन लागू करना होगा।

**14. महानिदेशक**

महानिदेशक संस्था के मुख्य प्रबंधक होंगे व उन्हें परिषद/ समन्वयन समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे, संस्था के उचित प्रबंधन के लिए योजनाओं तथा कार्यप्रणालियों को प्रतिपादित करना होगा और संस्था के कर्मचारी-नियमों व कर्मचारी सेवा-शर्तों के संबंध में समन्वयन समिति/ परिषद के सामने प्रस्ताव रखने होंगे।

**15. परिषद/ समन्वयन समिति/ तकनीकी सलाहकार समिति की सदस्यता-अवधि**

जब एक व्यक्ति परिषद/ समन्वयन समिति/ तकनीकी सलाहकार समिति का सदस्य किसी पद या नियुक्ति के नाते सदस्यता प्राप्त करता है तब उसकी परिषद/ समन्वयन समिति/ तकनीकी सलाहकार समिति की सदस्यता उसी समय समाप्त होगी जब वह उस पद या नियुक्ति से हटाया गया हो। अन्य सदस्य तीन वर्षों के लिए उसी पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोई सदस्य, त्याग-पत्र नहीं देता या प्राधिकारी जिन्होंने उन्हें नामित किया है, यदि उन्हें ऐसा अधिकार प्राप्त है तो उनकी सदस्यता, पहले ही समाप्त नहीं कर देता।

**16. उपविधि (उपनियम)**

16.1 परिषद, सामान्य प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए समय-समय पर उपविधि तथा कर्मचारी संबंधी नियम बना सकती है, जो इन नियमों के साथ असंगत ना हो और जो विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के लिए प्रस्तुत किए गए हों।

(क) परिषद, समन्वयन समिति तथा मण्डल की बैठकों में कार्य-प्रणाली ग्रहण करने तथा कार्य संचालन व ऐसी बैठकों के कोरम के लिए;

(ख) संस्था के वित्त/व्यय और लेखे;

(ग) संस्था के महा निदेशक, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी के अधिकार, तथा कार्यभार;

(घ) संस्था की ओर से ठेके तथा अन्य उपकरणों का कार्यान्वयन;

सी-डैक के नियम और विनियम

अनिल मिश्रा  
7.2.2024





(च) वकालत/ अभिवचन प्रणाली और कानूनी कार्यवाहियों का संचालन और अनुरक्षण;

(छ) संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों की शर्तें और कार्यावधि तथा अन्य सेवा की शर्तें;

(ज) कर्मचारी-नियमों को समाविष्ट करते हुए, किंतु उन्हें सीमित न रखते हुए संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा-शर्तें, प्रोत्साहन/ पुरस्कार, अनुशासन, निलंबन तथा निश्कासन;

(झ) संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों के हित तथा संस्था के उद्देश्य के लिए सेवा-निवृत्ति, भविष्य निर्वाह निधि तथा या अन्य निधियों की स्थापना तथा अनुरक्षण;

(ट) ऐसे अन्य विषय जो संस्था के प्रशासन और प्रबंधन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(ठ) यदि नियमों तथा विनियमों/ उपनियमों या कर्मचारी-नियमों या विशेष रूप से परिषद द्वारा अनुमोदित अन्यथा उल्लिखित हो तो, महानिदेशक केंद्र सरकार का कोई विशेष प्रावधान/ नियम स्वीकार कर सकते हैं;

16.2 परिषद को इन नियमों तथा उपनियमों को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

16.3 परिषद द्वारा संस्था के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए बनाये गए इन नियमों का अनुसरण तब तक जारी रखना होगा जब तक ये परिवर्तित, संशोधित नहीं होंगे या परिषद द्वारा इनका अनुसरण परिष्कृत नहीं होगा।

#### 17. महानिदेशक की नियुक्ति

केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, परिषद के अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति होगी। महानिदेशक का यह पद साधारणतया पाँच वर्षों या सेवा-निवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, बना रहेगा। आगे, महानिदेशक दिनांक 18.07.2014 के डीओपीटी कार्यालय जापन सं. 22/19/2013-EO(S.M.II) के संदर्भ में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

सी-डैक के नियम और विनियम

संगोल मितर  
7-2-2024



18. **महानिदेशक की स्थानापन्न/ अस्थायी नियुक्ति**  
नियमांतर्गत महानिदेशक की नियुक्ति की अनुपस्थिति में सरकार के अनुमोदन के साथ, महानिदेशक के रिक्त पद पर, अस्थायी रूप से परिषद द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। इस नियम के अंतर्गत, ऐसी नियुक्ति की अवधि, एक ही बार में, छह महीनों से अधिक नहीं होगी। स्थानापन्न/ अस्थायी महानिदेशक को, परिषद द्वारा समय-समय पर स्वीकृत, महानिदेशक में निहित कार्यभारों के अनुसार कार्यों का निर्वाह करना होगा तथा ऐसी स्थिति में, परिषद द्वारा स्थानापन्न/ अस्थायी महानिदेशक को, ऐसे कार्यवहन के लिए शर्तों तथा प्रतिबंधों से बाध्य किया जा सकता है।
19. **महानिदेशक की शक्तियों का प्रत्यायोजन**  
महानिदेशक अपने कुछ अधिकार, कार्य तथा कार्यभार को संस्था के कर्मचारियों में से एक या उससे अधिक सदस्यों को सौंप सकते हैं।
20. **कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति**  
कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अध्यक्ष, शासी परिषद, सी-डैक के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।
21. **कार्यकारी निदेशकों की शक्तियों का प्रत्यायोजन**  
16 दिसंबर 2013 को आयोजित 30वीं जीसी बैठक के एजेंडा सं. 7 के तहत जीसी रिज्यूलेशन के कारण हटाया गया।
22. **संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्यकाल**  
संस्था के नियमित कर्मचारी साठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। 60 वर्ष से अधिक की सेवा का विस्तार समय-समय पर DoPT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।
23. **कुलसचिव (रजिस्ट्रार) की नियुक्ति**  
परिषद के उपाध्यक्ष से परामर्श करने के बाद महानिदेशक द्वारा कुलसचिव की नियुक्ति करनी होगी।
24. **वार्षिक रिपोर्ट**  
परिषद द्वारा संस्था के कार्यकलापों के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी। ऐसी रिपोर्ट में, संस्था के

सी-डैक के नियम और विनियम



पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्था द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के विवरण होंगे और इसके साथ लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र/ चिट्ठा संलग्न होगा, जिसमें उल्लिखित वर्ष के दौरान संस्थागत आय-व्यय को दर्शाया गया होगा।

**25. संस्था के नाम तथा लक्ष्यों में परिवर्तन**

संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, परिषद संस्था के नाम तथा/ या लक्ष्यों में परिवर्तन कर सकती है।

**26. परिषद में निहित संपत्तियाँ तथा निधियाँ**

परिषद में निहित संस्था की इन संपत्तियों तथा निधियों का समावेश होगा-

(क) भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान।

(ख) भारत में किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान।

(ग) संस्था से संबंधित कोई यंत्र-सामग्री, संयंत्र, उपस्कर उपकरण (आदिप्ररूप या अन्यथा) सॉफ्टवेयर, पुस्तकें और पत्रिकाएँ, फर्नीचर और जुड़नार तथा फर्निशिंग।

(घ) भारत के अंदर या बाहर से किसी अन्य संस्थान/ संगठन/ कंपनी/ न्यास/ संस्था से प्राप्त कोई निधि, अनुदान, दान।

**27. कानूनी कार्रवाई**

सभी कानूनी कार्रवाइयों में कुलसचिव मुकदमा दायर कर सकता है या संस्था के नाम से कोई मुकदमा दायर हो सकता है। केंद्रों के मामलों में, संबंधित केंद्र के प्रशासनाध्यक्ष मुकदमा दायर कर सकते हैं या केंद्र के विरुद्ध मुकदमा दायर हो सकता है।

**28. संस्था की मोहर**

कुलसचिव को सारे दस्तावेजों तथा संविदाओं को कार्यान्वित करने, महानिदेशक से प्राप्त निदेशानुसार उन पर मोहर लगाने का अधिकार प्राप्त है। मोहर की अभिरक्षा की जिम्मेदारी कुलसचिव की होगी।

सी-डैक के नियम और विनियम

सिनेल महर  
12-2021



29. नियमों का प्रत्यावर्तन/ परिवर्तन

परिषद द्वारा, जब जैसी आवश्यकता हो, इन नियमों को प्रत्यावर्तित, जोड़ा तथा संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्यावर्तित, बाद में जोड़े गए तथा संशोधित नियमों का कार्यान्वयन, उनकी अधिसूचित तारीख से ही आरंभ होगा।

30. संस्था का विघटन

प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से, उसकी पूर्वानुमति को प्राप्त करने के बाद संस्था का विघटन किया जा सकता है। संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियम; (1860 की अधिनियम सं. 21) के अनुबंध 13 के प्रावधानोंनुसार संस्था का विलयन किया जा सकता है।

संस्था के विलयन के उपरांत, यदि ऋण चुकाने तथा उत्तरदायित्व के संतोषप्रद वहन के बाद, किसी प्रकार का बकाया रह जाता है तो जो भी संपत्ति बाकी है, उससे न कुछ ऋण चुकाना होगा या न ही उसे संस्था के सदस्यों में वितरित करना होगा, किंतु संस्था के विघटन के समय पर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित, सदस्यों के अधिकतम मतदान द्वारा संस्था के सदस्यों के लिए कानूनी तौर पर यह निश्चित करना उनके पक्ष में होगा कि ऐसी संपत्ति को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाना होगा।

31. संस्था का संविलयन/ पुनः-संविलयन

संस्था का किसी अन्य संस्था के साथ संविलयन हो सकता है या 1860 के संस्थाओं के पंजीकरण अधिनियमों के प्रावधानोंनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इस प्रकार से करने की पूर्व अनुमति के उपरांत ही उसे दो या उससे अधिक संस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संस्था की शासी परिषद की 23 वीं बैठक में किये गए संशोधनानुसार यह संस्था के नियमों तथा विनियमों की सही प्रतिलिपि है।

क्र.सं. पूरा नाम, पता तथा पद

हस्ताक्षर

1. श्री एस. रामकृष्णन,  
महानिदेशक, सी-डैक,  
पुणे 411007

सी-डैक के नियम और विनियम



2. श्री पंकज अग्रवाल,  
संयुक्त सचिव (संस्थाएँ)  
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली-11003
3. डॉ. ए. के. चक्रवर्ती  
समूह-समन्वयक (आईटी में अनुसंधान और विकास)  
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
भारत सरकार  
नई दिल्ली-11003

में उपरोक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता हूँ।  
राजपत्रित अधिकारी

- \* 21.11.2011 को आयोजित 28वीं जीसी बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार  
\*\* 23.11.2015 को आयोजित 32वीं जीसी बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार  
\*\*\* 16.12.2013 को आयोजित 30वीं जीसी बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार  
\*\*\*\*\*मेइटी आदेश संदर्भ सं. 7(9)/2016-ABCD dtd. 20.09.2016 के अनुसार

सी-डैक के नियम और विनियम

सुनील प्रसन्न  
7-2-2024

